

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।

क्रमांकएफ-02-06/2016/सात-6

भोपाल, दिनांक 28 / 11 / 2016

प्रति,

1) समस्त संभागायुक्त,

2) समस्त कलेक्टर, [५६६१३३-५३३ अफने अधीनस्थो डी ओ डी]
मध्यप्रदेश।

विषय:- राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के बैठने के लिए न्यूनतम दिवस/समय सुनिश्चित करने बाबत।

संदर्भ:- मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रमांक 394/मु.स./2016 दिनांक 28 अक्टूबर, 2016.

दिनांक 25 एवं 26 अक्टूबर 2016 को आयोजित कमिश्नर कलेक्टर-सीईओ-एस.पी. कांफ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के बैठने के लिए न्यूनतम दिन/समय निम्नानुसार सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं:-

1. कलेक्टर-सप्ताह के प्रत्येक सोमवार के अपरान्ह में।
2. अपरकलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार सप्ताह में कम से कम 3 दिन अपरान्ह में, जो कलेक्टर द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय किया जाये। कलेक्टर इन दिनों के अपरान्ह में राजस्व अधिकारियों से संबंधित कोई भी बैठक आयोजित नहीं करेंगे।
2. राजस्व न्यायालयों की कम्प्यूटरीकरण परियोजना (Rcms) के तहत भी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के बैठने हेतु दिवस निर्धारित किये जाने की व्यवस्था भी की जा रही है जिससे आम जनमानस व अधिवक्ताओं को भी पीठासीन अधिकारियों के राजस्व न्यायालय में बैठने के दिवसों व समय की जानकारी आनलाईन व एसएमएस से प्राप्त होगी।
3. उक्त संबंध में निर्देश दिए जाते हैं उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जाए।

(अ.स.स.स.स.स.)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 28 / 11 / 2016

क्रमांकएफ-02-06/2016/सात-6

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. समस्त अपर कलेक्टर/समस्त अनुविभागीय अधिकारी/समस्त तहसीलदार/
समस्त अपर तहसीलदार/समस्त नायब तहसीलदार मध्यप्रदेश।

(अ.स.स.स.स.स.)
प्रमुख सचिव

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग